रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01112022-239963
CG-MH-E-01112022-239963

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944
No. 536] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना में संशोधन

मुंबई, 1 नवम्बर, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/97.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जिसका उल्लेख यहाँ आगे "बोर्ड" के रूप में किया गया है), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा बोर्ड की तारीख 24 जनवरी, 2022 की अधिसूचना (सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/67) (जिसका उल्लेख यहाँ आगे "उपरोक्त अधिसूचना" के रूप में किया गया है) में संशोधन करता है, अर्थात्,-

1. यह अधिसूचना 17 जनवरी, 2022 से लागू हुई मानी जाएगी।

2. उपरोक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) उन ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) में रेपो और रिवर्स रेपो से संबंधित लेनदेनों (ट्रांजेक्शन) का समाशोधन (की क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) करने के सिवाय कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा, जिनका लेनदेन (डीलिंग) या जिनमें सौदेबाजी (ट्रेडिंग) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है।"

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./363/2022-23]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

AMENDMENT TO THE NOTIFICATION

Mumbai, the 1st November, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/97.—The Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as 'the Board'), in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, hereby amends the Notification of the Board No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/67, dated the 24th January, 2022 (hereinafter referred to as "the said notification"), namely, -

1. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 17th day of January, 2022.

2. In the said notification, the following proviso shall be inserted, namely, -

   "Provided that the Clearing Corporation shall not undertake any activity except that of clearing and settling transactions in repo and reverse repo in the debt securities that are dealt with or traded on a recognised stock exchange."

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./363/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.11.01 19:41:30 +05'30'